

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1164 / 2010 / जयपुर

मैसर्स ए बी बी लिमिटेड, सी-116,  
अलखनंदा जनपथ, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
इंचार्ज चैकपोस्ट रतनपुरा चौराहा, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 03 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 25 / अपील-II / 2008-09 / जेपी-बी में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रभारी वाणिज्यिक कर, जाँच चौकी रतनपुरा चौराहा वृत-हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) में पारित आदेश दिनांक 13.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 13.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में आरोपित शास्ति रूपये 2,62,500/- को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यवित होकर, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 06.02.2008 को जाँच चौकी पर आये ट्रक वाहन संख्या आर.जे.01 / जी.ए. -3347 को चैक किया गया। वाहन में इलेक्ट्रिकल सामान (बसडक्टस एवं एसेसरीज) ग्रेटर नोएडा से सूरतगढ़ के लिये परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये गये :-

क) यूनियन रोडवेज लिमिटेड की जी.आर. न०-डीएलआई-029437 दिनांक 05.02.2008 जिसमें प्रेषित एक्स.ई.एन. (स्टोर्स) एस.टी.पी.एस., आर.आर.वी.यू.एन.एल, सूरतगढ़।

लगातार.....4

ख) मैसर्स कन्ट्रोल एण्ड स्विच गियर लिमिटेड का इनवॉइस क्रमांक 381/07-08 दिनांक 05.02.2008 जो मैसर्स ए बी बी लिमिटेड के नाम जारी है। इनवॉइस में प्रेषिति एक्स.ई.एन. (स्टोर्स) एस.टी.पी.एस, आर.आर.बी.यू.एन.एल, सूरतगढ़ को दर्शाया गया है। सक्षम अधिकारी ने माल को अधिसूचित माल होना अवधारित किया। कथित अधिसूचित माल के सम्बन्ध में वैट-47 प्रस्तुत नहीं होने का उल्लेख किया गया, तथा इस कारण से धारा 76(6) के अधीन नोटिस दिनांक 13.02.2008 का जारी किया गया तथा 2,62,500/- रुपये की शास्ति आरोपित की गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत व्यवहारी है जो टिन न. -08452106369 का धारक है। अपीलार्थी को मैसर्स इण्डियोर प्रा० लि० से एक सप्लाई आदेश प्राप्त हुआ (मैसर्स इण्डियोर प्रा० लि० कम्पनी को सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन से विद्युत सामान की सप्लाई करने का आदेश प्राप्त हुआ था) अपीलार्थी ने उस सप्लाई आदेश की पूर्ति करने के लिये मैसर्स कन्ट्रोल एण्ड स्विच गियर लिमिटेड नोएडा (उ०प्र०) को आदेश दिया, तथा मैसर्स कन्ट्रोल एण्ड स्विच गियर लिमिटेड नोएडा ने उक्त सप्लाई आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी के निर्देशानुसार माल सामग्री को उनके बिल क्रमांक 381/07-08 दिनांक 05.02.2008 राशि रुपये 8,64,727/- को सीधा सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन को प्रेषित किया। यह विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3(बी) से आच्छादित है। अपीलार्थी कम्पनी ने उक्त विक्रय को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन बिक्री घोषित की है। सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन, सूरतगढ़ ने उक्त माल विद्युत के उत्पादन एवं वितरण के लिये खरीदा है, जिसकी डिलीवरी राजस्थान में ली गई है। सक्षम अधिकारी ने चैक पोस्ट रतनपुरा चौराहा हनुमानगढ़ में वैट-47 की अनुपलब्धता के आधार पर नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने नोटिस विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया तथा साथ में वैट-47 क्रमांक 2092190 संलग्न कर प्रस्तुत किया। सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी के विस्तृत उत्तर पर कोई गौर नहीं किया तथा शास्ति आरोपण की कार्यवाही की। दोनों निम्नतर अधिकारियों सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण व अविधिक है। कोई विक्रय संव्यवहार अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में है या राज्य के भीतर है, इस तथ्य को सक्षम अधिकारी निर्वचित करने में सक्षम नहीं हैं। बहस के दौरान अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

लगातार.....3

- क) ए.सी.टी.ओ झालावाड बनाम मैसर्स राजस्थान ट्यूब मैन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड 28 टैक्स अपडेट पेज 321 (राज.)
- ख) मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी 35 टैक्स अपडेट पेज 49 (राज.)
- ग) मैसर्स हीरामणि फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ उडनदस्ता बांसवाडा 36 टैक्स अपडेट पेज 37 (राज.)
- घ) अपील नो 2282/2010/कोटा ए.सी.टी.ओ ई वार्ड-I सर्किल-III, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा सेल्स कारपोरेशन कोटा निर्णय दिनांक 26.07.2013 (रा.क.बो.)
- ङ) मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर बनाम ए.सी.टी.ओ वार्ड-II सर्किल बाडमेर 37 टैक्स अपडेट पेज 233 (रा.क.बो.)
- च) अपील संख्या 1261/2012/जयपुर ए.सी.टी.ओ वार्ड-II सर्किल 'बी' अलवर बनाम मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर निर्णय दिनांक 27.10.2014 (रा.क.बो.)
- छ) मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड चित्तौड़गढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ 11 STA Page 35 (R.S.T.T.)
- ज) अपील संख्या 180/1997/कोटा ए.सी. विशेष वृत कोटा बनाम मैसर्स फुलर के. सी. पी. लिमिटेड, कोटा निर्णय दिनांक 14.08.2003 (रा.क.बो.)
- झ) ए.सी.टी.ओ उडनदस्ता श्रीगंगानगर बनाम बूंगे इण्डिया प्रा० लि० (2014) 70 VST Page 49 (राज.)

5. प्रत्यर्थी की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश पर बल दिया तथा उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. अभिलेख के परिशीलन पश्चात् यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर की पालना में वैट-47 क्रमांक 2092190 उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी के मामले में दिये गये निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the viechle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by the themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods. Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner assesee having furnished form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act."

अन्य प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टातों मे दी गई व्यवस्थाएँ भी हस्तगत प्रकरण मे लागू होती है।

- क) ए.सी.टी.ओ झालावाड बनाम मैसर्स राजस्थान ट्यूब मैन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड 28 टैक्स अपडेट पेज 321 (राज.)
- ख) मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी 35 टैक्स अपडेट पेज 49 (राज.)
- ग) मैसर्स हीरामणि फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम ए.सी.टी.ओ उडनदस्ता बांसवाडा 36 टैक्स अपडेट पेज 37 (राज.)
- घ) अपील नो 2282/2010/कोटा ए.सी.टी.ओ एई वार्ड-I सर्किल-III, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स कृष्ण सेल्स कारपोरेशन कोटा निर्णय दिनांक 26.07.2013 (रा.क.बो.)
- ङ) मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर बनाम ए.सी.टी.ओ वार्ड-II सर्किल बाडमेर 37 टैक्स अपडेट पेज 233 (रा.क.बो.)
- च) अपील संख्या 1261/2012/जयपुर ए.सी.टी.ओ वार्ड-II सर्किल 'बी' अलवर बनाम मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर निर्णय दिनांक 27.10.2014 (रा.क.बो.)
- छ) मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड वित्तौड़गढ बनाम ए.सी.टी.ओ 11 STA

ज) अपील संख्या 180 / 1997 / कोटा ए.सी. विशेष वृत्त कोटा बनाम मैसर्स फुलर के. सी. पी. लिमिटेड, कोटा निर्णय दिनांक 14.08.2003 (रा.क.बो.)

झ) ए.सी.टी.ओ उडनदस्ता श्रीगंगानगर बनाम बूंगे इण्डिया प्रा० लि० (2014) 70 VST Page 49 (राज.)

8. प्रकरण में अभिलेख के तथ्यों के अवलोकन व उद्धरित न्यायिक दृष्टातों के आलोक में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नोटिस के उत्तर के साथ घोषणा-पत्र वैट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से धारा 76 में कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया है। सक्षम अधिकारी को संचलन के दौरान परिवहनित माल की जाँच के समय विक्रय संव्यवहार की प्रकृति का निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होती है। दोनों निम्नतर अधिकारियों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं, अतः अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी  
सदस्य